3055

न्यायालय : - नायब तहसीलदार,बिजनौर (पी-3)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- वीरेन्द्र कुमार
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460517619
वाद संख्या:- 17619/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम राजेन्द्र
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 01/06/2026

वाद सं0-

ग्राम-दोना निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण लेखपाल की हस्तान्तरण रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भ किया गया, जो कि विक्रयपत्र दिनांक 22.04.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार वाद पंजीकृत कर इष्तहार जारी किया गया। नियमानुसार वाद पंजीकृत कर इष्तहार जारी किया गया। वादी नें अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिससे यह विक्रयपत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99,के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। यह आदेष इस तथ्य के अधीन रहेगा कि भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाष में आता है या भूमि किसी संस्था/बैंक में बन्धक/भारयुक्त पायी जाती है तो यह आदेष स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं0 00612 की खसरा सं० 3055 रकबा 0.7590हे0 में से विकीत रकबा 0.7590हे०, विक्रेता का संपूर्ण अंष मा0गु0 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती मीना पत्नी राम बाबू निवासी बदबदा खेडा काकोरी लखनऊ व श्री राजेन्द्र पुत्र राम बाबू निवासी बदबदा खेडा काकोरी लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री ंषहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण गोमतीनगर लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 22.04.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:

ना0 तह0 बिजनौर(पी3)

सरोजनीनगर, लखनऊ

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"